

उत्तरांचल शासन,
आवास/नगर विकास एवं अभियंत्रण शाखा,
संख्या 959/नवि/आ/अभितो-2001-79आ/2001,
देहरादून: दिनांक: 20अप्रैल, 2001.

"अधिसूचना"

उत्तर प्रदेश साधारण ढाण्ड अधिनियम, 1904 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1904 की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम अधिनियम संख्या-1974 उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-30 सन् 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित तथा परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973 की धारा-4 की उप धारा-3 एवं 3अ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके तथा उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-1795/9-आवास-5-98-23 डीए0-85 दिनांक 2 जून, 1998 को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल हरिद्वार विकास प्राधिकरण बोर्ड का निम्नवत् पुनर्गठन करते हैं:-

- | | |
|--|--------------------|
| 1- मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, | अध्यक्ष । |
| 2- उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार | पदेन सदस्य । |
| 3- सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन, देहरादून | पदेन सदस्य । |
| 4- सचिव, तीर्थटिन/पर्यटन, उत्तरांचल शासन, देहरादून | पदेन सदस्य । |
| 5- सचिव, सिंचाई, उत्तरांचल शासन, देहरादून | पदेन सदस्य । |
| 6- सचिव, पेयजल, उत्तरांचल शासन, देहरादून, | पदेन सदस्य । |
| 7- जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार, उत्तरांचल, | पदेन सदस्य । |
| 8- मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून | पदेन सदस्य । |
| 9- अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, हरिद्वार । | पदेन सदस्य । |
| 10- अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, ऋषिकेश । | पदेन सदस्य । |
| 11- अध्यक्ष, नगरपंचायत, रानीपुर, हरिद्वार । | पदेन सदस्य । |
| 12- अध्यक्ष, नगर पंचायत, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल, | पदेन सदस्य । |
| 13- उत्तरांचल शासन द्वारा नामित तीन गैर सरकारी सदस्य । | गैर सरकारी सदस्य । |

पी.सी. शर्मा, 20/4
सचिव ।

संख्या-959/नवि/आ/अभितो-2001-तदुदिनांक

प्रतिलिपि उप/संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, जनपद हरिद्वार, उत्तरांचल को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की केवल हिन्दी में दिनांक 26अप्रैल, 2001 के असाधारण गजट के बिधायी परिशिष्ट भाग-4 ढाण्ड-खा में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 100प्रतियां आ/न0

क्रमशः/2पर

विकास/अभियंत्रण शाखा, उत्तरांचल शासन, मुख्य भवन को लघा 5-5
प्रतियां नीचे अंकित अधिकारियों को सीधे अपने स्तर से प्रेषित करने का
कष्ट करें।

आज्ञा से,

§पी सी वर्मा§,
सचिव।

संख्या 959828/न०नि०/आ०/अभित०-2001-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित सदस्यगण।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पीडी, कैम्प-देहरादून, उत्तरांचल।
- 3- उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को 20 अतिरिक्त प्रतियां
सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया समस्त सदस्यों को एक-एक
प्रति अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4- जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तरांचल।
- 5- संबंधित सदस्यगण § उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण, के माध्यम से।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

§पी सी वर्मा§,
सचिव।